

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्वाकर्मा, आर.ए.एस.**

राजस्व विविध प्रकरण GOML NO 2024 / 390

दिनांक तिथि 10.10.2024

आदेश तिथि 11-12-2024

प्राधी :- पकाराम पुत्र लखाराम जाति मेणा निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली राज

ब न म

अप्राधी :-

- जुमी पति शंकरलाल जाति मेणा निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली राज.
- राजस्थान सरकार जयिमे (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रिकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

**आदेश**

दिनांक 11-12-2024

प्राधी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 संपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्राधी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 445 रकबा 0.5400 हेक्टर की भूमि में 'ऑटोमैगम' के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्राधी की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 434/2 रकबा 1.0200 हेक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित टुक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अनिलेखों की प्रतिया भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (मुप-6) की अधिसूचना क्रमांक FJ(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौजा एवं अनिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2393 दिनांक 28.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि प्राधी श्री पकाराम के खेत खसरा नंबर 445 रकबा 0.5400 हेक्टर से कटान मार्ग तक अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग खसरा नंबर 434 से निकटतम दूरी का है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है।
- यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किरम	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर	नाम खातेदार
434/2	1.20 हेक्टर	वा. सो.	26x9.09=236.34 वर्गमीटर	जुमी पति शंकरलाल जाति मेणा सा. देह खातेदार

- यह कि भू-अनिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित खसरे की डी.एल.सी. दर 1.13.843 रु/- रुपये प्रति हेक्टर है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्राधी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंघा की गई। प्रकरण में अप्राधी को नोटिस जारी किया गया। अप्राधी जुमी बाबजूद नोटिस तामील के पकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्राधी जुमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ में लाई गई। चकील प्राधी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024 / 390

अनवान पकाराम बनाम जुमी वमैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 445 रकबा 0.5400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2393 दिनांक 28.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 445 रकबा 0.5400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 434/2 रकबा 1.20 हैक्टर में से 234 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,13,843 /-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नान खातेदार
434/2	1.20 हैक्टर	26X9=234 वर्गमीटर	12	2808X2=5616	जुमी पत्नि शंकरलाल जाति मेणा सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 5616/- (अक्षरे पांच हजार छः सौ सोलह रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिशि बिस्नोई),  
तहसीलदार बाली, राजस्थान  
उपस्थित अधिकारी, बाली  
दिनांक : 11/12/2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/2458-2462

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करे।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक, प्रकाराम, पुत्र लच्छाराम, जाति मेणवावल, निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली राज. को सूचनार्थ।



तहसीलदार बाली, राजस्थान  
उपस्थित अधिकारी, बाली

871/434

430

नकल नक्शा किश्तवार

ग्राम - फ़ेवार

तह - बाली

870/434

राज


431

432

535

442

पत्ता  
S.



पुस्तकित  
रास्ता

433

445

445/876

4342

536

आवेदक की  
मुक्ति

खलेहरी

446

452

453

463/1



ILR नाना

Ex-court.

सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
असहय अधिकारी, बाली

तहसीलदार, बाली